न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.
अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 216/2023

विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखराज जाति जटसिख निवासी 1 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. बलविन्द्र सिंह उर्फ बिन्द्र सिह पुत्र जीत सिंह उर्फ सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 जैड हाल वार्ड नं. 5, केसरीसिंहपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर ।

– – **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री रामेश्वरलाल सुथार – – प्रार्थी
2. पैरोकार राज – – अप्रार्थी 2

अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय::–

दिनांक :– 15.10.2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी वाके चक 20 जैड पटवार हल्का 3 एच छोटी भू–अभिलेख क्षेत्र 18 जैड के खाता संख्या नया 38, पुराना 15 के मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 16 ता 25 की कुल 2.572 है0 रकबा में से 622/643 हिस्सा अर्थात् 2.488 है0 रकबा का काश्तकार है। जमाबन्दी की नकल शामिल दरखास्त है । यह कि चक 20 जैड के मुरब्बा नं. 36 के किला नं. 1 ता 21 व 21 ता 25 रास्ता दर्ज है जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के खाता संख्या 61/5 के मुरब्बा नं. 36 के किला नं. 21 ता 25 में गैरमुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज है, नकल जमाबन्दी संलग्न दरखास्त है । प्रार्थी के रकबा मुरबा नम्बर 38 में आने जाने के लिए वर्तमान में कोई रास्ता नही है जिससे प्रार्थी को अपने रकबा में आने जाने व काश्त करने में अत्याधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। जिसके लिये प्रार्थी मुरब्बा नं. 37 के किला नं. 21 ता 25 में 1–1 बिस्वा प्रत्येक बीघा में पत्थर लाईन पर स्वीकृत करवाना चाहता है व राजस्व रिकार्ड में रास्ता के रूप में दर्ज करवाना चाहता है, जिसके लिये प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करेगा । प्रार्थी के रकबा को आने जाने के लिये इस रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकलपक रास्ता उपलब्ध नही है । इसलिये प्रार्थी मुरब्बा नं. 37 के किला नं. 21 ता 25 में रास्ता 1–1 बिस्वा प्रत्येक बीघा में स्वीकृत करवाना चाहता है। यह कि प्रार्थना पत्र काबिल समायत अदालतवाला है तथा उचित न्यायशुल्क पर पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए आरटी एक्ट पेश कर निवेदन है कि चक 20 जैड के मुरब्बा नं. 37 के किला नं. 21 ता 25 पत्थर लाईन पर 1–1 बिस्वा प्रत्येक बीघा में रास्ता स्वीकृत करने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 के नाम फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्त. अधि. में वैकल्पिक रास्ते के अभाव एवं रास्ते की आतयन्तिक आवश्यकता के बिन्दु पर विचार किया जाता है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते का अभाव है। प्रार्थीगण को उसकी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 20 जैड के मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 21 ता 25 (प्रत्येक बीघा में) में पत्थर लाईन पर 1–1 बिस्वा रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपने स्तर से वितरित करेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 15.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner